को पेश हो। ... दिनांक 22.1.21

22/1/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14/2/2020 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम-10(2) एवं धारा 151 सीपीसी के द्वारा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को इस आधार पर पक्षकार मुकदमा से हटाया जावे कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.23 15:44:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

आरटीएक्ट एवं न दी धारा 212 आरटी एक्ट में पदाकार बनाया गया है।

परन्तु न्यायालय की राय में ऐसा होना आवश्यक नहीं है कि जो मूल प्रार्थना पत्रों में पदाकार न हो, उसके द्वारा न्यायालय आदेश की जानकारी होने पर न्यायालय आदेश की अवमानना की जा सके। अतः विस्तृत विचारण न कर इस स्तर पर अप्रार्थीगण को पदाकार मुकदमा हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र 01 R 10(2) एवं धारा 151 CPC एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जबाब 26.2.2021 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.23 15:24:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner